न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 10/2016/टोंक (2016/00002)

श्री यशवन्त कुमार टांक उर्फ रामअवतार टांक पुत्र श्री नन्दलाल टांक निवासी संघपुरा, पुरानी टोंक जिला टोंक।

—**अपीलार्थी**

बनाम

अनुज्ञापन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

—— **प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान आयुद्ध अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक न्याय/गनहाउस/2016/2068 दिनांक 08—3—2016

————

उपस्थितः 1— श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 06—09—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु अपीलार्थी के लाईसेंस में एन.पी. बोर स्पोर्टिंग राईफल व शूटिंग रिवाल्वर 22 बोर/बीएल गन दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहा है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 18—2—2015 को प्रस्तुत किया जिसे जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने पत्र दिनांक 8—3—2016 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र में औचित्य नहीं दर्शाया गया है एवं जो तथ्य अंकित किये गये है वह युक्तिपूर्ण नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र पत्रित कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक टोंक से आवेदन पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट चाही गई थी जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने रिपोर्ट भिजवाई जिसके अनुसार अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 323/2001/पी.एस. टोंक/डी.एम.टी. में अतिरिक्त शस्त्र एक एन.पी. बोर स्पोर्टिंग राईफल एवं 22 बोर रिवाल्वर या बी.एल.गन की स्वीकृति देने की अभिशंषा की गई। गृह विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01–09–2007 के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत लक्ष्य अभ्यास के लिए 0. 22 बोर राईफल या एयर राईफल का प्रयोग करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राईफल क्लब या राईफल संघ के सदस्य के लिए धारित किये जाने वाले शस्त्रों की संत्र निर्धारित नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि नियमानुसार अपीलार्थी राजस्थान राईफल एसोसियएशन का सदस्य होने के कारण एवं खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के उद्देश्य से अतिरिक्त शस्त्र रख सकता है। इस संबंध में एडीपी की टिप्पणी में अतिरिक्त शस्त्र अनुज्ञा दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी करने के बावजूद अपीलार्थी का आवेदन पत्र पत्रित कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट टोंक का आदेश दिनांक 8–3–2016 उनकी स्वयं की नोटशीट के विपरीत एवं विरोधाभासी होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने केवल इस आधार पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में औचित्य नहीं दर्शाया है तथा जो औचित्य अंकित किया गया है वह युक्तिपूर्ण नहीं है जबकि जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट एवं एडीपी की टिप्पणी से औचित्य एवं युक्तियुक्त साबित है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने एडीपी से विधिक राय ली जिन्होंने अपनी राय एवं विभिन्न कानूनों व राजकीय परिपत्रों का हवाला देते हुए अपीलार्थी का अतिरिक्त अनुज्ञा दिये जाने की राय अपीलार्थी के पक्ष में दी थी जो कि अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली/नोटशीट से स्पष्ट है जिस नजरअन्दाज कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र पत्रित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 निरस्त किया जाने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जिसमें अतिरिक्त शस्त्र चाहने हेतु खेलकूद (शूटिंग प्रतियोगिता) स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी राजस्थान राईफल एसासिएशन में सदस्य नहीं है। खेलकूद से परमिट करवाया है स्वयं का गनहाऊस है। अपीलार्थी शूटिंग क्लब के नाम से शस्त्र चाहते है। गनहाऊस को लाईसेन्स नहीं दिया जा सकता है । शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत लक्ष्य अभ्यास के लिए 0.22 बोर राईफल या एयर राईफल प्रयोग करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राईफल क्लब का अपीलार्थी सदस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 8–3–2016

विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी का स्वयं का गनहाऊस है। अपीलार्थी द्वारा शूटिंग सेन्टर खोलकर स्पोर्ट बॉय तैयार कर प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए अतिरिक्त शस्त्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राईफल क्लब का ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अतिरिक्त शस्त्र की आवश्यकता है। शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान किसी के साथ कोई हादसा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। एडीपी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 10–10–2015 में उल्लेख किया है कि अतिरिक्त शस्त्र क्रय करने की अनुमति देते समय उसकी आवश्यकता/औचित्य व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को गहनतापूर्वक देखा जावे तथा शारीरिक व मानसिक रूप से फिटनेस है या नहीं इसकी भी जांच की जानी चाहिए। एडीपी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी को अतिरिक्त शस्त्र की अनुमति प्रदान की जावे। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने पत्र क्रमंक 1394 दिनांक 20–2–2015 को अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि आप द्वारा शूटिंग के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है आप द्वारा शूटिंग सेन्टर हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली है या नहीं? के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र में औचित्य नहीं दर्शाने एवं युक्तिपूर्ण नहीं होने के कारण आवेदन पत्र पत्रित किया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) टोंक का आदेश क्रमांक न्याय/गनहाऊस/2016/2068 दिनांक 08–03–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर